न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 145/2020

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनुपरा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. किताबी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांकः 16/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 69/52 के प० नं0 320/368 (476) के किला नं. 2 की 0.253 है0, 3 की 0. 253 है0, 4 की 0.253 है0, 5 की 0.253 है0, 6 की 0.253 है0, 7 की 0.253 है0, 8 की 0. 253 है0, 9 की 0.253 है0, 12 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.253 हैक्ट कुल 3.0360 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। सायल के दादा सुखराम द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत किताबी पत्नी रामचन्द्र के पक्ष में की थी वसीयत के आधार पर उक्त भूमि किताबी के नाम दर्ज हुई है सायल के पिता रामचन्द्र अपने पिता सुखराम से पहले फौत हो चुके है। इसलिए दादालाई भूमि सायल की माता के नाम दर्ज हुई है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 69/52 की 3.036 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। [illegible] की विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित [illegible] अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता वकील सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसकें पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 69/52 की 3.036 हैक्ट भूमि जो की अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है पैतृक भूमि है उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के दादा सुखराम द्वारा प्रार्थी की माता किताबी के पक्ष में की गई थी पूर्व में वाद भूमि प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी इसलिए पैतृक भूमि है। उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 को जरिये वसीयत सुखराम से प्राप्त हुई है लेकिन अधिकवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि सुखराम को कैसे प्राप्त हुई अगर उक्त भूमि सुखराम की स्वयं अर्जित भूमि है तो वह अपनी भूमि की वसीयत अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में करने हेतु स्वतंत्र है एवं अप्रार्थी स0 1 के नाम उक्त भूमि जरिये वसीयत दर्ज हुई है इसलिए पैतृक भूमि नही है क्योकि प्रार्थी द्वारा सुखराम के नाम भूमि दर्ज कैसे हुई बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है एवं न ही वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज पेश किया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 26.10.2020 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.06 11:24:19 IST
Reason: SelfAttested